



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना मेरापुर

दिनांक :- 17.02.2024

थाना मेरापुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को चोरी किये गये 06 मोबाइल फोन व 01 लैपटॉप सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जॉन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेरापुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1. करन नायक 2. मानपाल सिंह को चोरी किये गये 06 मोबाइल फोन व 01 लैपटॉप सहित गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

1. करन नायक पुत्र निबोध नायक निवासी सराह अमहत थाना नयागाँव जनपद एटा
2. मानपाल सिंह पुत्र रामनिवास सिंह राजपूत निवासी नगला नानकार, पुनपालपुर थाना मेरापुर

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 17.02.2024 को थाना मेरापुर पुलिस द्वारा 02 नफर अभि० 1. करन नायक 2. मानपाल सिंह को चोरी के 06 मोबाइल फोन व 01 लैपटाप (एच०पी०) सहित गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 13/2024 धारा 41/411/413/414 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगणों ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोबाइल व लैपटाप भोगांव थाना क्षेत्र के एक गाँव से चुराए है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 06 मोबाइल फोन
2. 01 लैपटाप (एच०पी०)

आपराधिक इतिहास अभि० करन नायक:-

1. मु०अ०सं० 27/24 धारा 380 IPC कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु०अ०सं० 115/24 धारा 380 IPC थाना भोगांव जनपद मैनपुरी
3. मु०अ०सं० 13/24 धारा 41/411/413/414 IPC थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़

आपराधिक इतिहास अभि० मानपाल सिंह:-

1. मु०अ०सं० 13/24 धारा 41/411/413/414 IPC थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मेरापुर पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सिंह
2. उ०नि० श्री सुबोध यादव
3. का० प्रशान्त कुमार
4. का० अर्जुन सिंह
5. का० सन्तोष कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि0-17.02.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ चिक्कू पुत्र नन्हेसिंह निवासी ग्राम गैसिंगपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ के विरूद्ध मु0अ0सं0-0032/2010 वाद सं-0475/2010 धारा- 25 A ACT कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 17.02.2024 को मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अनुज प्रताप



कोर्ट मोहर्रि का0 बन्टी



पैरोकार हे0का0
श्यामसिंह

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि0-17.02.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1- धर्मेन्द्र उर्फ चिक्कू 2- लटूरी 3- चिंटू पुत्रगण नन्हेसिंह निवासीगण ग्राम गैसिंगपुर कोवताली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ 4- नीलू पुत्र कप्तान सिंह नि० जैनपुर थाना ठठिया जनपद कन्नौज के विरूद्ध मु०अ०सं०-0021/2010 वाद सं-0064/2010 धारा- 307/34, 504 भादवि व 3(2)5 SC/ST ACT कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 17.02.2024 को मा० न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अशोक कटियार



कोर्ट मोहर्रि का० बन्टी



पैरोकार हे०का०
श्यामसिंह



